



प्रेस विज्ञप्ति

10/12/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने ज्योति पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (जेपीसीपीएल), उसके निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से जुड़े बैंक धोखाधड़ी केस के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष 3/12/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुंबई और भोपाल में दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऋण खातों का दुरुपयोग करके अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त 297.07 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से वैध बनाया गया था। जांच में यह स्थापित हुआ है कि कंपनी, उसके निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने सहयोगी संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के विभिन्न खातों के माध्यम से धन का गबन/हेरफेर करके बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी की, जिसे बाद में नकद में निकाल लिया गया। उक्त राशि का उपयोग पूर्व निदेशकों, प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर संपत्तियां खरीदने में किया गया था। जेपीसीपीएल ने बैंकों को फर्जी और जाली साख पत्र प्रस्तुत किए, गैर-कंसोर्टियम खातों में धनराशि प्राप्त की, फर्जी असुरक्षित लेनदारों को दिखाकर खातों में हेराफेरी की, जिससे आपराधिक विश्वासघात हुआ और भारी मात्रा में पीओसी उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आर्थिक लाभ हुआ।

इस मामले में, आवासीय फ्लैटों और भूखंडों सहित 15 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पहले ही अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था।